सत्यमेव जयते

लेखे एक नजर में

2019-20

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

झारखण्ड सरकार

लेखे एक नजर में

वर्ष 2019-20

प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड
(लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड सरकार

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार के वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन राज्य विधान मंडल के पटल पर रखने के लिए बनाये और जाँचे गये हैं।

वार्षिक लेखे–समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अधीन लेखे का संक्षिप्त विवरण है। विनियोग लेखे में राज्य विधान मंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरूद्ध अनुदानवार व्यय को दर्ज किया जाता है एवं वास्तविक व्यय तथा उपलब्ध कराये गये निधियों के बीच अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

'लेखे एक नजर में' सरकारी क्रियाकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित है। ये सूचना संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों और ग्राफों के द्वारा दर्शाया गया है।

हमें उन परामर्शों की अपेक्षा है जो हमारे प्रकाशन के सुधार में सहायक सिद्ध हो।

(चन्द्र मौलि सिंह)
प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.)

स्थान : राँची
दिनांक : 09 मार्च, 2021

हमारा दृष्टि, उद्देश्य एवं बुनियादी मूल्य

दृष्टि

(एक द्रष्टा के रूप में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान इस दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षाओं में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाकर विश्वनायक एवं पहलकर्ता की अपनी पहचान बनाने में जी जान से जुटे हैं एवं प्रशासन के क्षेत्र में स्वतंत्र विश्वसनीयता, संतुलित एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग के लिए हमें जाना जाता है।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य अपनी वर्तमान भूमिका एवं वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं का निरूपण करना है।

भारतीय संविधान के अनिवार्यताओं के अनुसार, हम उच्च स्तरीय लेखा परीक्षा तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता व श्रेष्ठ प्रशासन को प्रोन्नत करते हैं एवं अपने भागीदारों, विधायिका, कार्यपालिका को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक निधि का उपयोग प्रभावी तरीके से यथोचित उद्देश्यों के लिए ही किया जा रहा है।

बुनियादी मूल्य

हमारे बुनियादी मूल्य सभी के मार्गदर्शन हेतु आलोकित करना है जिसे हम पूरा करते हैं तथा यही मूल्य हमारे प्रदर्शन के आकलन के लिए निर्धारित मानदण्ड है।

- स्वतंत्रता
- निष्पक्षता
- अखण्डता
- विश्वसनीयता
- विशिष्ट दक्षता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय-सूची

अध्याय–1	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	भूमिका	7
1.2	लेखे की संरचना	8
1.2.1	सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं	8
1.2.2	लेखा संकलन	9
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	10
1.3.1	वित्त लेखे	10-12
1.3.2	विनियोग लेखे	12
1.3.3	बजट अनुमानों की कार्य कुशलता	12
1.4	निधियों के स्रोत तथा उपयोग	12
1.4.1	अर्थोपाय अग्रिम	12
1.4.2	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	12
1.4.3	निधि प्रवाह विवरणी (निधियों के स्रोत तथा उपयोग)	12-13
1.4.4	रूपये कहाँ से आए	14
1.4.5	रूपये कहाँ गए	14
1.5	लेखे की विशिष्टता	15-16
1.6	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005	17
1.6.1	राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति	18
1.6.2	राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति	18
1.6.3	उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात	19
अध्याय–2	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	20
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	20-21
2.2.1	राजस्व प्राप्तियों का घटक	21
2.2.2	राजस्व प्राप्तियों का रूझान	21-22
2.3	कर राजस्व	22-23
2.3.1	राज्य की स्व कर राजस्व एवं संघीय करों में राज्य का अंश संग्रहण का प्रदर्शन	23-24
2.3.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण का रूझान	24
2.4	कर संग्रहण की दक्षता	25
2.5	विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सा की प्रवृति	26
2.6	सहायक अनुदान	26-27
2.7	लोक ऋण	28

		पृष्ठ
अध्याय–3	**व्यय**	
3.1	भूमिका	29
3.2	राजस्व व्यय	30
3.2.1	राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण	31
3.2.2	राजस्व व्यय के मुख्य घटक	32
3.3	पूंजीगत व्यय	32
3.3.1	पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण	33
3.3.2	पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण	33
3.4	लेखांकन मानकों का अनुपालन	33
अध्याय–4	**राज्य स्कीम (सी.ए.एस.सी. एवं सी.एस.एस. सहित) एवं स्थापना व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण	34
4.2	योजना व्यय	34-35
4.2.1	पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय	35
4.2.2	ऋणों एवं अग्रिमों पर स्कीम व्यय	35
4.3	स्थापना व्यय	36
4.4	वचनबद्ध व्यय	36-37
अध्याय–5	**विनियोग लेखे**	
5.1	विनियोग लेखे का सारांश	38
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृति	38
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	39-40
अध्याय–6	**परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व**	
6.1	परिसम्पत्तियाँ	41
6.2	ऋण एवं दायित्व	42
6.3	निवेश एवं वापसियाँ	43
6.4	राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम	43
6.5	प्रत्याभूति	43
अध्याय–7	**अन्य मदें**	
7.1	आन्तरिक ऋण के अधीन शेष	44
7.2	स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता	44
7.3	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का मिलान	44
7.4	लेखे का पुनर्मिलान	45
7.5	कोषागारों द्वारा लेखे का प्रेषण	45
7.6	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र	45
7.7	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी)	46
7.8	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता	46
7.9	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)	46
7.10	व्यय की तीव्रता	46-47

अध्याय – 1
विहंगावलोकन

1.1 भूमिका

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आँकड़ों को संकलित, वर्गीकृत एवं समेकित करता है एवं झारखण्ड सरकार के लेखों को तैयार करता है। यह संकलन जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों, वन प्रमंडलों, अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन की सूचना द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों पर आधारित है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रत्येक माह झारखण्ड सरकार को मासिक सिविल लेखे प्रस्तुत किया जाता है। महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों एवं सरकार के व्यय की गुणवत्ता पर त्रैमासिक अनुशंसा नोट भी प्रस्तुत करता है। वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं

सरकार के लेखों की संरचना

भाग–1
समेकित निधि

समेकित निधि – कर एवं गैर–कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों उठाये गए ऋण एवं दिये गये ऋणों (ब्याज सहित) की अदायगी समेकित निधि में जमा होते हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान (ब्याज सहित) सहित सरकार के सभी व्यय एवं संवितरण को इस कोष से वहन किया

भाग–2
आकस्मिक निधि

आकस्मिक निधि अग्रदाय स्वरूप की है, वैसे अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। तदोपरान्त इस निधि से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है। झारखण्ड सरकार के लिए इस कोष की राशि ₹ 500.00 करोड़ है।

भाग–3
लोक लेखे

इसमें ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण तथा उचित लेनदेन शामिल है। ऋण एवं जमा सरकार की देयता के पुनर्भुगतान को इंगित करता है। पेशगियां सरकार की प्राप्तियाँ हैं। प्रेषण एवं उचित लेनदेन समायोज्य प्रविष्टियाँ हैं जिसे अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकन द्वारा उत्तरोत्तर समाशोधित किया जाता है।

1.2.2 लेखा संकलन

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख

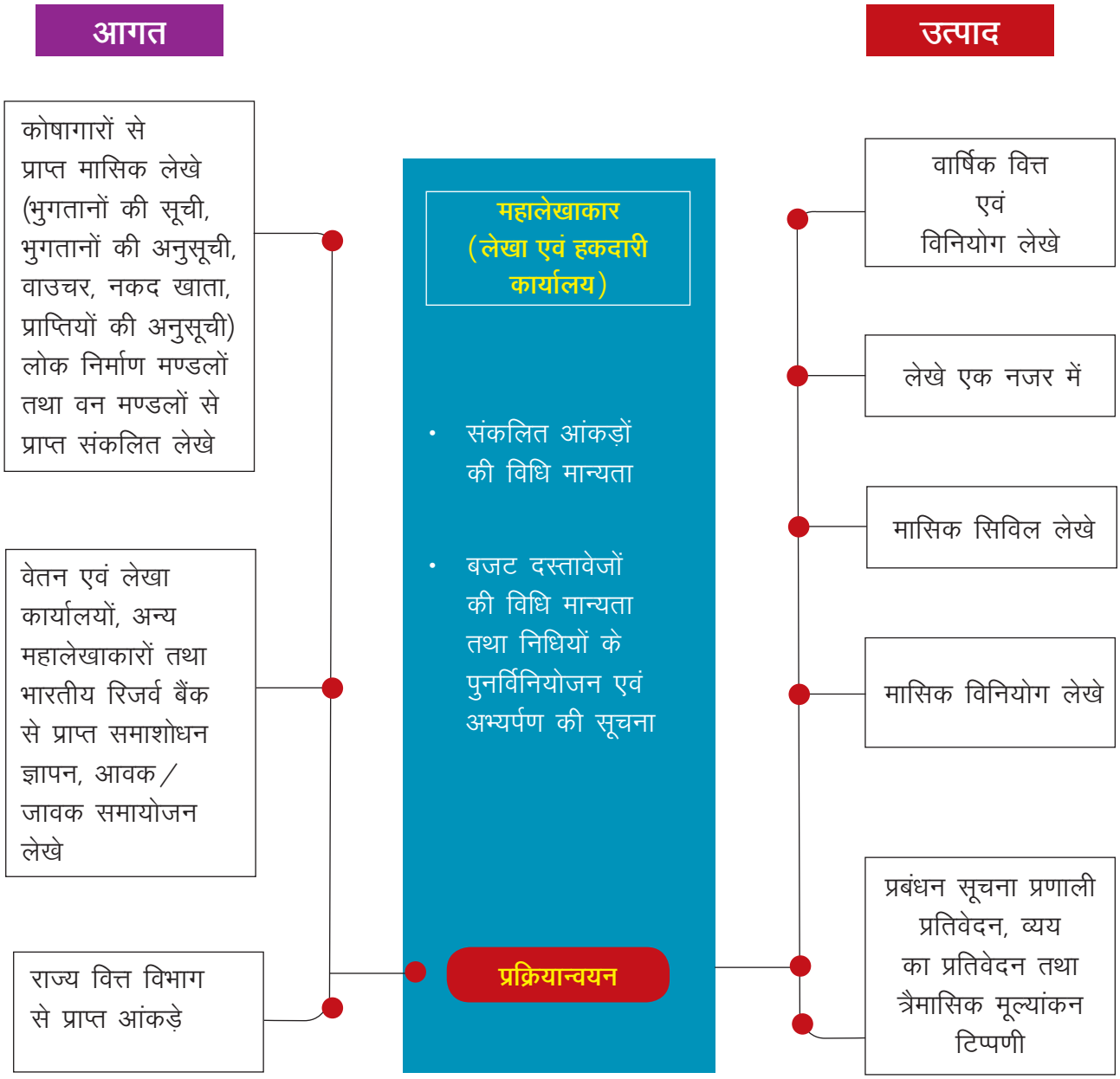

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

लेखे में दर्ज शेषों के परीक्षण के आधार राजस्व और पूंजी लेखे, लोक ऋण के लेखे एवं दायित्वों तथा सम्पत्तियों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों और व्ययों के लेखे वित्त लेखे प्रस्तुत करता है। वित्त लेखे को अधिक व्यापक एवं सूचनात्मक बनाने हेतु इसे दो खण्डों में बनाया गया है। वित्त लेखे के खण्ड – I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र, सम्पूर्ण प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरण समाहित है तथा 'लेखे पर टिप्पणियाँ', जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण की नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता तथा अन्य मदें शामिल हैं। खण्ड–II में विस्तृत (भाग–I) तथा परिशिष्टों (भाग–II) को शामिल किया जाता है।

झारखण्ड सरकार के प्राप्तियों और व्ययों, जैसा कि वित्त लेखें, 2019-20 में अंकित है, को नीचे दर्शाया गया है –

वर्ष 2019-20 में प्राप्तियों और व्ययों

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	**कुल प्राप्तियाँ**		**66,501**
	राजस्व	कर राजस्व	37,364
		करेतर राजस्व	8,750
		सहायता अनुदान एवं अंशदान	12,303
		राजस्व प्राप्तियाँ	**58,417**
	पूंजी	कर्ज एवं पेशगियों की वसूली	49
		उधार एवं अन्य दायित्व (*)	8,035
		विविध पूंजी प्राप्तियाँ	0
		पूंजी प्राप्तियाँ	**8,084**
संवितरण	**कुल संवितरण**		**66,501**
	राजस्व		56,457
	पूंजी		9,879
	कर्ज एवं पेशगियाँ		165

(*) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ–संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ–संवितरण) ± निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष

वर्ष 2019-20 की प्राप्तियाँ व संवितरण

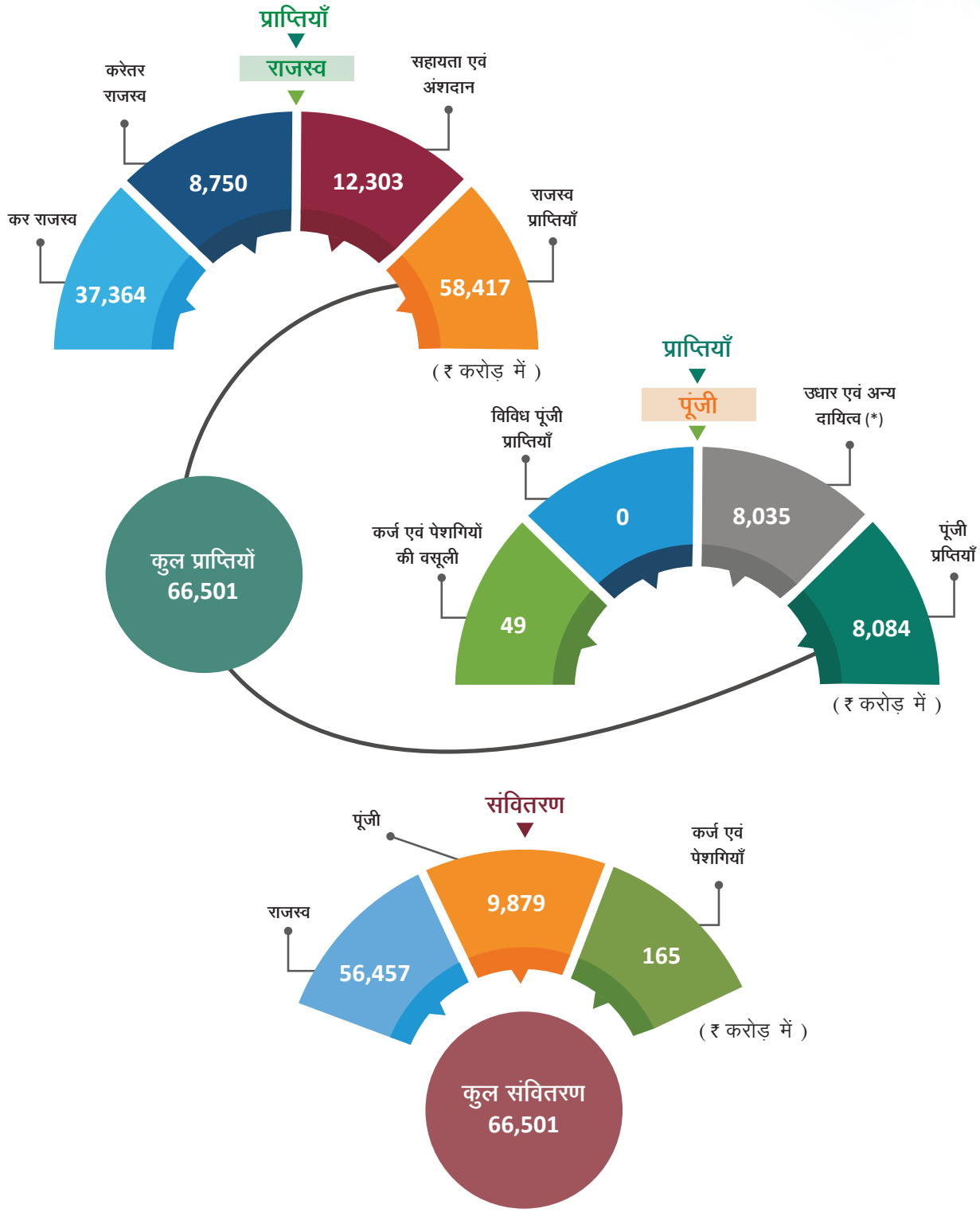

(*) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ–संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ–संवितरण) ± निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष

केन्द्र सरकार, राज्य में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर–सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक निधियों का हस्तांतरण करती है। इस वर्ष, भारत सरकार ने ₹ 236 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से विमुक्त किया। चूँकि इन निधियों का उल्लेख राज्य के बजट में नहीं किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार के लेखे में ये निधियाँ प्रतिबिम्बित नहीं होते हैं। वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड – II के परिशिष्ट – VI में इन अंतरणों को दर्शाया गया है।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के तहत् विधायिका के अधिकृत किये बिना सरकार किसी भी प्रकार का खर्च नहीं कर सकती है। कुछ निर्दिष्ट खर्चों को छोड़कर जो संविधान के समेकित निधि पर प्रभारित हैं, जो विधायिका के वोट के बगैर खर्च किये जा सकते हैं, अन्य सभी खर्चे 'पारित' होते हैं। झारखण्ड सरकार के बजट में 05 प्रभारित विनियोग, 54 दत्तमत अनुदान, 01 दत्तमत एवं प्रभारित मिश्रित अनुदान हैं। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत विनियोग के साथ संकलित वास्तविक व्यय किस सीमा तक हैं।

1.3.3 बजट अनुमानों की कार्य कुशलता

वर्ष के अंत में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के खिलाफ झारखण्ड सरकार का वास्तविक व्यय, ₹ 23,985 करोड़ (अनुदान का 25 *प्रतिशत*) का निवल बचत हुआ एवं व्यय की कमी पर ₹ 234 करोड़ (अनुदान का 39 *प्रतिशत*) का अधिक आकलन किया गया।

1.4 निधियों के स्रोत तथा उपयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रख–रखाव में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष कायम रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम लेती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने सोलह (16) दिनों के लिए साधारण अर्थोपाय पेशगियाँ प्राप्त किया।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रख–रखाव के लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के बाद भी यदि न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 0.45 करोड़ से कम हो जाए, तो भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्रॉफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने किसी ओवरड्रॉफ्ट सुविधाओं का सहारा नहीं लिया है।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणी

31 मार्च 2020 तक राज्य के पास ₹ 1,961 करोड़ का राजस्व अधिशेष एवं ₹ 8,035 करोड़ का राजकोषीय घाटा था। राजकोषीय घाटे को लोक ऋण (₹ 5,362 करोड़) तथा लोक लेखे में अभिवृद्धि (₹ 2,430 करोड़) तथा निवल ह्रास अन्य एवं अंत रोकड़ शेष (₹ 242 करोड़) से पूरा किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 58,417 करोड़) का लगभग 41 *प्रतिशत* वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 12,832 करोड़), ब्याज अदायगियों (₹ 5,308 करोड़) एवं पेंशन (₹ 6,005 करोड़) पर व्यय किया गया।

निधियों के स्रोत तथा उपयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
01.04.2019 को अथ रोकड़ शेष	188
राजस्व प्राप्तियाँ	58,417
विविध पूंजी प्राप्तियाँ	0
कर्ज एवं अग्रिम की वसूली	49
लोक ऋण	9,593
लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	1,175
आरक्षित एवं निक्षेप निधियां	4,379
जमा प्राप्ति	15,833
सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	490
उचंत लेखा	63,929
प्रेषण	11,107
कुल	**1,65,160**

राजस्व व्यय	56,457
पूंजी व्यय	9,879
दिए गए कर्जे	165
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,231
लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	1,170
आरक्षित एवं निक्षेप निधियां	361
खर्च किए गए जमा	14,595
दिए गए सिविल अग्रिम	490
उचंत लेखा	66,743
प्रेषण	11,123
31.03.2020 का अन्त रोकड़ शेष	(-) 54
कुल	**1,65,160**

1.4.4 रुपये कहाँ से आए

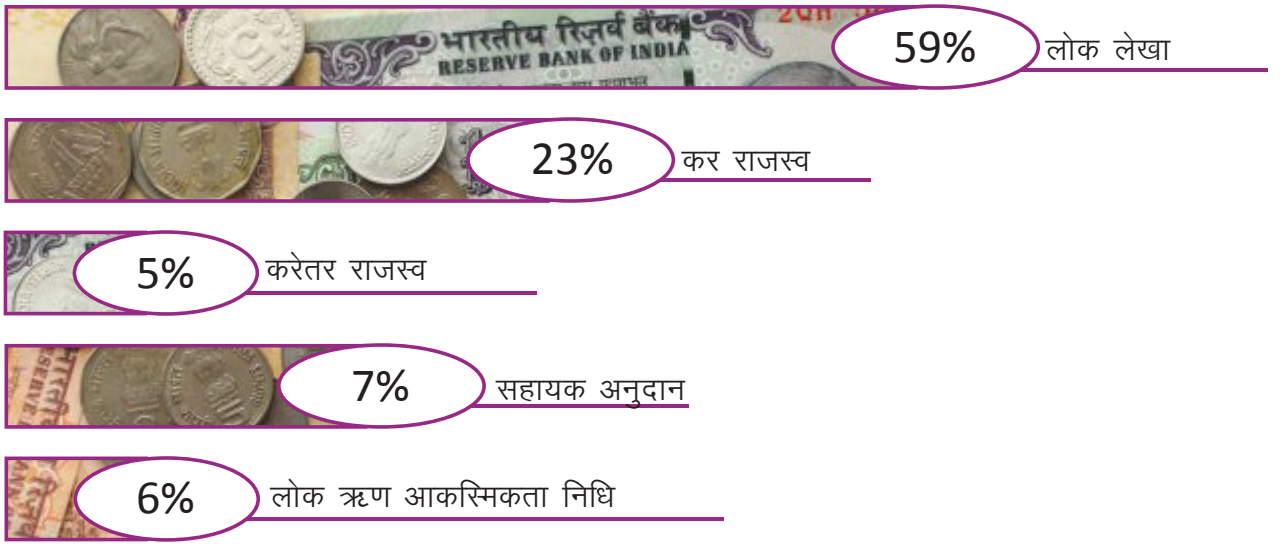

1.4.5 रुपये कहाँ गए

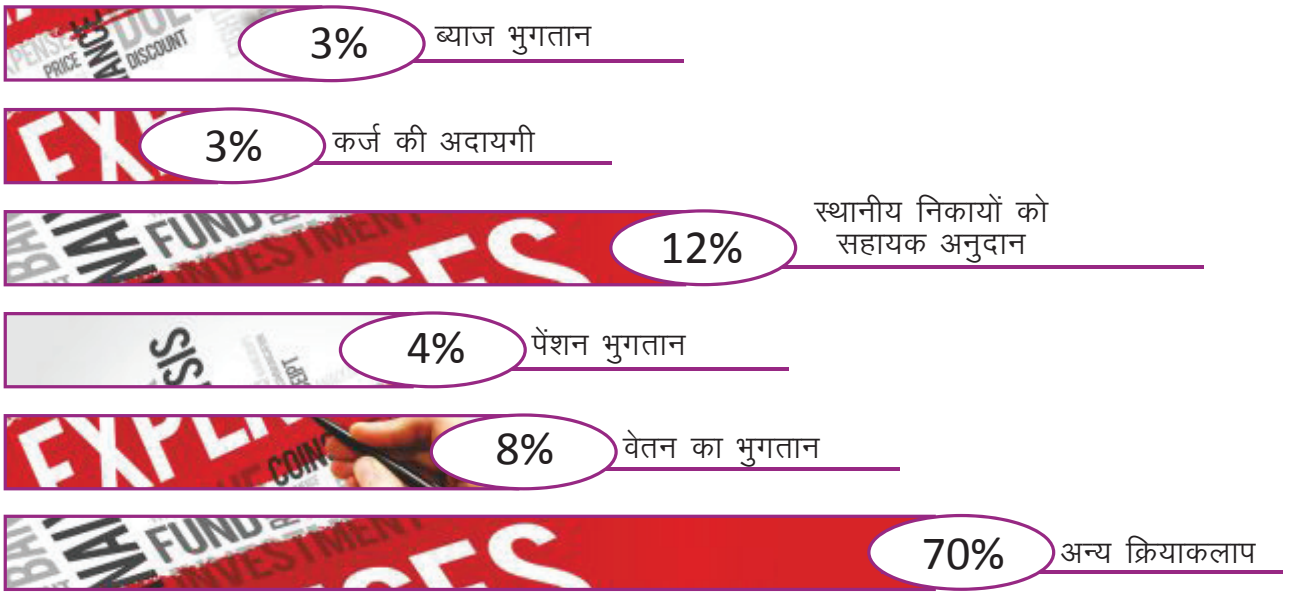

1.5 लेखे की विशिष्टता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		ब.प्रा. 2019-20	वास्तविकी 2019-20	वास्तविकी ब.प्रा. की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. (#) की वास्तविकी से प्रतिशतता
1.	कर राजस्व (@)	49,850	37,364	75	11
2.	करेतर राजस्व	10,674	8,750	82	3
3.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	13,834	12,303	89	3
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	74,358	58,417	79	17
5.	विविध पूंजी प्राप्ति	--	0	--	0
6.	कर्जे एवं अग्रिमों की वसूली	71	49	69	0
7.	उधार एवं अन्य दायित्व (अ)	11,000	8,035	73	2
8.	पूंजी प्राप्तियाँ (5+6+7)	11,071	8,084	73	2
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	85,429	66,501	78	19
10.	स्थापना व्यय (*)	29,186	28,929	99	8
11.	राजस्व लेखा पर स्थापना व्यय	29,146	28,830	99	8
12.	10 में से ब्याज भुगतान पर स्थापना व्यय	5,467	5,308	97	2
13.	पूंजी लेखा पर स्थापना व्यय	40	99	248	0
14.	योजना व्यय (*)	50,493	37,572	74	11
15.	राजस्व लेखा पर योजना व्यय	36,657	27,627	75	8
16.	पूंजी लेखा पर योजना व्यय	13,836	9,945	72	3
17.	कुल व्यय (10+14)	79,679	66,501	83	19
18.	राजस्व व्यय (11+15)	65,803	56,457	86	16
19.	पूंजी व्यय (13+16) ($)	13,876	10,044	72	3
20.	राजस्व अधिशेष (4-18)	8,555	1,960	23	1
21.	राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	5,250	8,035	153	2

(@) संघीय करों में राज्य का हिस्सा का ब.प्रा. तथा वास्तविकी क्रमशः ₹ 29,000 करोड़ तथा ₹ 20,593 करोड़ सम्मिलित है।

(#) सकल राज्य घरेलु उत्पाद का ₹ 3,43,126 करोड़ जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।

($) पूंजी लेखा पर व्यय में पूंजी व्यय (₹ 9,879 करोड़) एवं संवितरित कर्जे तथा अग्रिमों (₹ 165 करोड़) सम्मिलित है।

(*) व्यय में ₹ 52 करोड़ स्थापना एवं ₹ 113 करोड़ राज्यस्तरीय सम्मिलित है जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है।

(अ) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ – संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ – संवितरण) ± निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष।

वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व अधिकोष ₹ 1,960 करोड़ (2018-19 में ₹ 5,521 अधिशेष) एवं राजकोषीय घाटा ₹ 8,035 करोड़ (2018-19 में ₹ 6,629 घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1 *प्रतिशत* एवं 2 *प्रतिशत* क्रमशः दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 12 *प्रतिशत* है।

घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है?

घाटा

राजस्व एवं व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है, घाटों के प्रकार, घाटा कैसे सम्पोषित हुआ तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचकांक है।

राजस्व घाटा/ अधिशेष

राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान स्थापना के रख–रखाव के लिए आवश्यक है तथा आदर्शतः राजस्व प्राप्तियों से ही उसे पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा/ अधिशेष

कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर) तथा कुल व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। इसलिए यह अन्तर उधारों द्वारा व्यय को किस सीमा तक सम्पोषित किया गया है। सूचित करता है आदर्शतः उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेषित किया जाना चाहिए।

1.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ. आर. बी. एम.) अधिनियम, 2005

झारखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में नियत राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय अधिनियमों के तहत निर्धारित नियमों के तहत प्राप्तियाँ इस प्रकार थीं : -

क्र.स.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	1,960 (अधिशेष)	$	लक्ष्य प्राप्त किया गया
2	राजकोषीय घाटा	8,035	3 *प्रतिशत* या कम	2.34 (लक्ष्य प्राप्त हुआ)
3	ऋण एवं अन्य दायित्व	94,407		
4	बकाया प्रत्याभूति	607		

* *सकल राज्य घरेलू उत्पाद का (₹ 3,43,126 करोड़) जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।*

$ *राजस्व घाटा 2011-12 में घट कर शून्य हो गया था।*

राज्य सरकार ने झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत विधायिका के लिए आवश्यक उद्घोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किए।

राज्य सरकार के पास 2018-19 में ₹ 5,521 करोड़ एवं 2019-20 के दौरान ₹ 1,960 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। यद्यपि, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता के परिकलन में मत भिन्नता है। राज्य सरकार के आकलन के दौरान स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटे के अनुपान खर्च 2015-20 में 4.76 एवं 2.31 *प्रतिशत* की सीमा के बीच था।

1.6.1 राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृति

राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृति

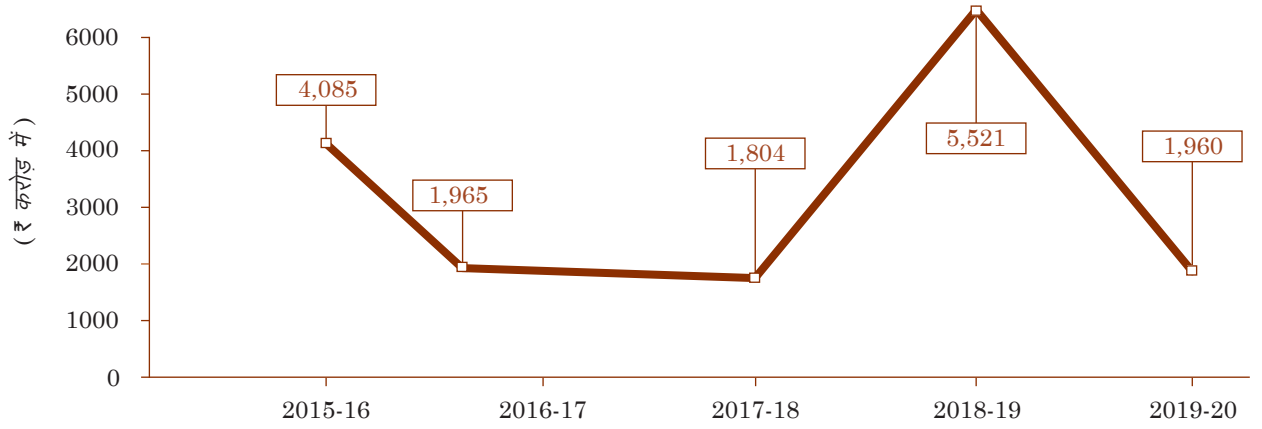

1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृति

राजकोषीय घाटा की प्रवृति

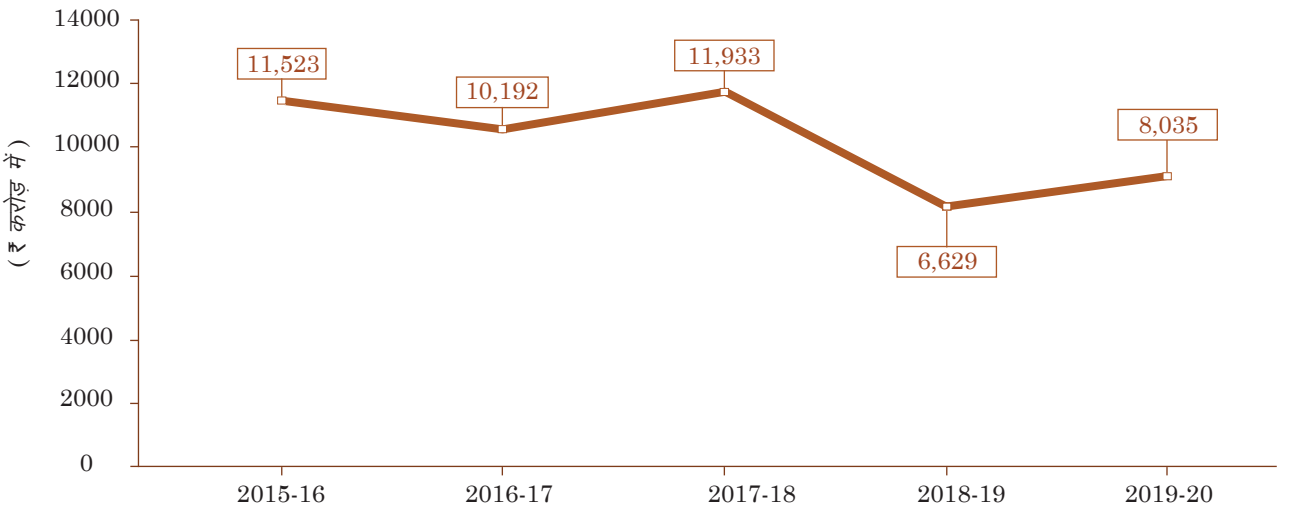

1.6.3 उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात –

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2015-16	13,245	15,639
2016-17	7,081	12,196
2017-18	8,137	13,805
2018-19	7,803	12,198
2019-20	9,593	10,044

उधार निधि एवं पूंजीगत व्यय

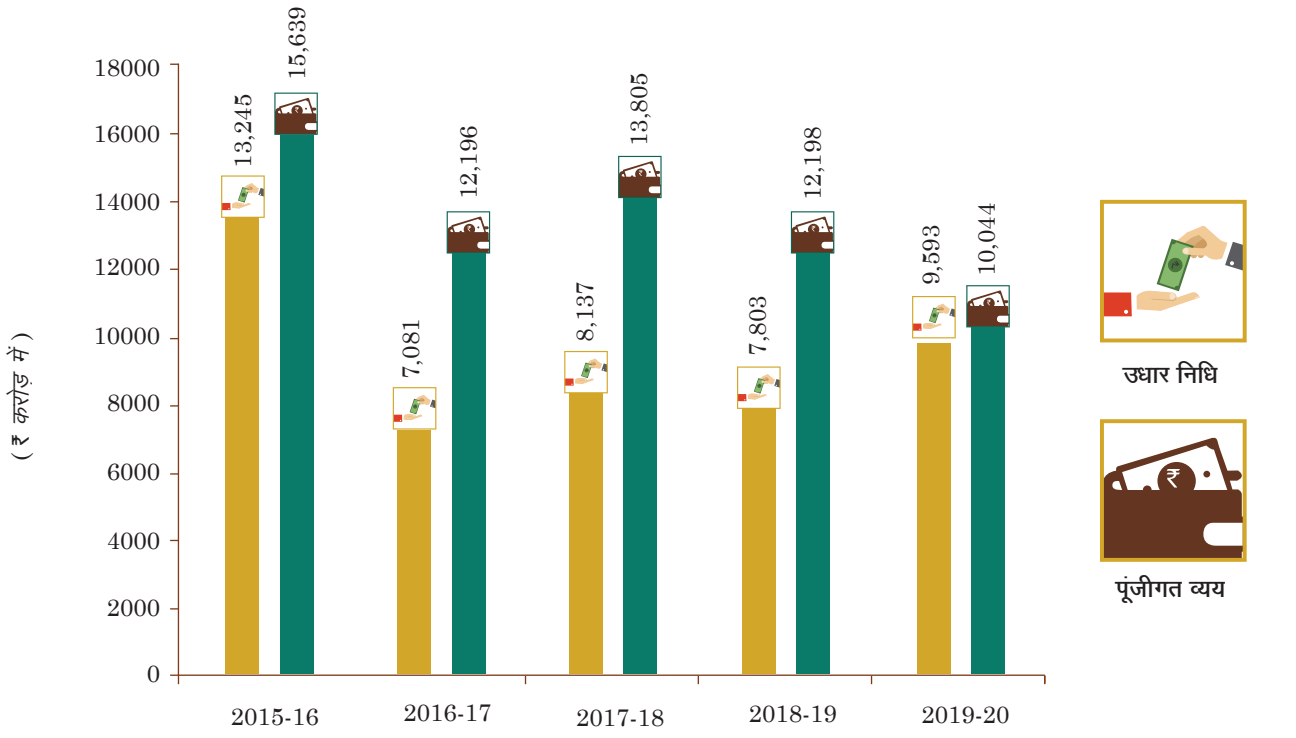

सरकार आम तौर पर राजकोषीय घाटे एवं उधार निधियों का उपयोग पूंजी/परिसंपत्तियों के सृजन हेतु या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए करता है ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्तियां एक आय प्रवाह उत्पन्न करके अपने लिए भुगतान कर सकें। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उधार ली गई निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जाए तथा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्व प्राप्तियों का उपयोग हो। यद्यपि, राज्य सरकार 96 *प्रतिशत* चालू वर्ष में अपने पूंजीगत व्यय (₹ 10,044 करोड़) के लिए उधारों से (₹ 9,593 करोड़) संपोषित किया।

अध्याय – 2
प्राप्तियाँ

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को दो भागों यथा राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 66,501 करोड़ था।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की राजस्व प्राप्तियों को तीन घटकों में समावेश किया जाता है जैसे : कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा संघीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान।

कर राजस्व — भारत के संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अधीन संघीय करों में राज्य का हिस्सा से संबंधित करों को राज्य सरकार द्वारा संग्रहण करना एवं रखना शामिल है।

करेत्तर राजस्व — ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल हैं।

सहायक अनुदान — अनिवार्यतः संघीय सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने वाली राशि विदेशी सरकारों से प्राप्त होने वाली वाह्य अनुदान सहायता एवं सहायता उपस्कर एवं सामग्री जिसे संघीय सरकार के माध्यम से विभिन्न सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी संस्थाओं यथा–पंचायती राज संस्थान, स्वायतशासी निकायों आदि को सहायक अनुदान देती है।

राजस्व प्राप्तियाँ

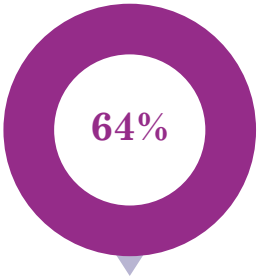

राजस्व कर

करेतर राजस्व

सहायक अनुदान एवं अंशदान

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों का घटक (2019-20)

घटक		वास्तविकी	राजस्व प्राप्तियाँ का प्रतिशत
क.	**कर राजस्व**	**37,364**	**64**
	वस्तु एवं सेवा कर	14,261	24
	आय तथा व्यय पर कर	12,607	22
	सम्पति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	899	2
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर वस्तु एवं सेवा कर के अलावे	9,597	16
ख.	**करेतर राजस्व**	**8,750**	**15**
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	310	1
	सामान्य सेवायें	282	0
	सामाजिक सेवायें	1,268	2
	आर्थिक सेवायें	6,890	12
ग.	**सहायक अनुदान एवं अंशदान**	**12,303**	**21**
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**58,417**	**100**

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कर राजस्व	27,448 (11)	32,441 (13)	33,497 (13)	38,658 (13)	37,364 (11)
करेतर राजस्व	5,853 (2)	5,351 (2)	7,847 (3)	8,258 (3)	8,750 (3)
सहायक अनुदान	7,337 (3)	9,262 (4)	11,412 (4)	9,236 (3)	12,303 (4)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**40,638 (16)**	**47,054 (19)**	**52,756 (21)**	**56,152 (20)**	**58,417 (17)**
स.रा.घ.उ.	**2,41,955**	**2,53,536**	**2,55,271**	**2,86,598**	**3,43,126***

**(₹ 3,43,126 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद) जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।*

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में आँकड़े स.रा.घ.उ. जो कि पूर्णांकित आंकड़े के रूप में है, की प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व संग्रह में वृद्धि वर्ष 2018-19 की तुलना में 20 *प्रतिशत* था जबकि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के बीच स.रा.घ.उ. में वृद्धि 4 *प्रतिशत* ही था। कर राजस्व में 3 *प्रतिशत* का ह्रास हुआ तथा करतेर राजस्व में 6 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। निगम कर (₹ 7,021 करोड़) अलौह खनन तथा धतुकर्म उद्योग (₹ 5,461 करोड़), बिक्री व्यापार आदि पर कर (₹ 3,996 करोड़), एवं आय पर निगम कर से भिन्न कर (₹ 5,502 करोड़) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संग्रह किया गया। निश्चित कर घटकों राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 8,418 करोड़) राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 2,009 करोड़) एवं संघ–उत्पाद शुल्क (₹ 908 करोड़) के अन्तर्गत राज्य का स्व राजस्व उच्च प्रवृत्ति को दर्शाता है।

राजस्व प्राप्तियों का रूझान

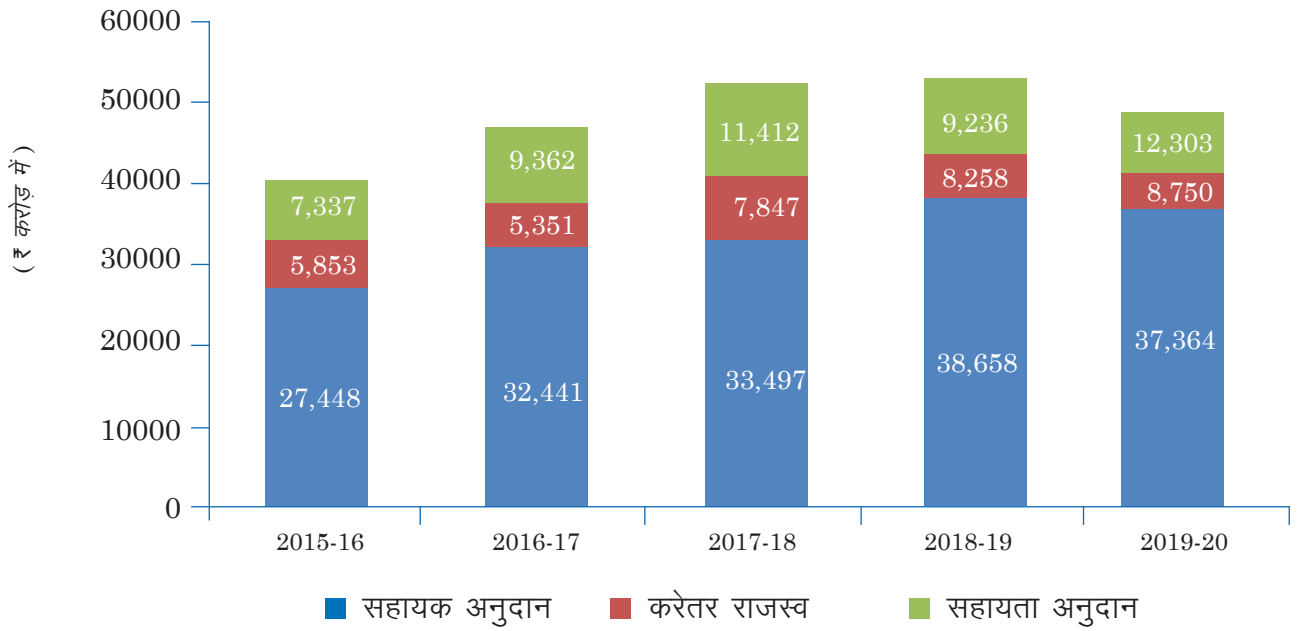

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार राजस्व प्राप्तियाँ					
	2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
वस्तु तथा सेवा कर	--	--	6,558	14,572	14,261
आय तथा व्यय पर कर	8,617	10,466	12,016	14,558	12,607
सम्पति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	697	861	625	843	899
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	18,134	21,114	14,298	8,685	9,597
कुल कर राजस्व	**27,448**	**32,441**	**33,497**	**38,658**	**37,364**

वर्ष 2019-20 के दौरान सकल कर राजस्व में बढ़ोतरी भारत सरकार से राज्य अंश प्राप्त होने एवं निगम कर (₹ 7,021 करोड़), बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (₹ 3,996 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 5,502 करोड़), राज्य वस्तु तथा सेवा कर (₹ 8,418 करोड़), संघ उत्पाद शुल्क (₹ 908 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 1,305 करोड़)।

स.रा.घ.उ. के अनुपात में मुख्य करों की प्रवृत्ति

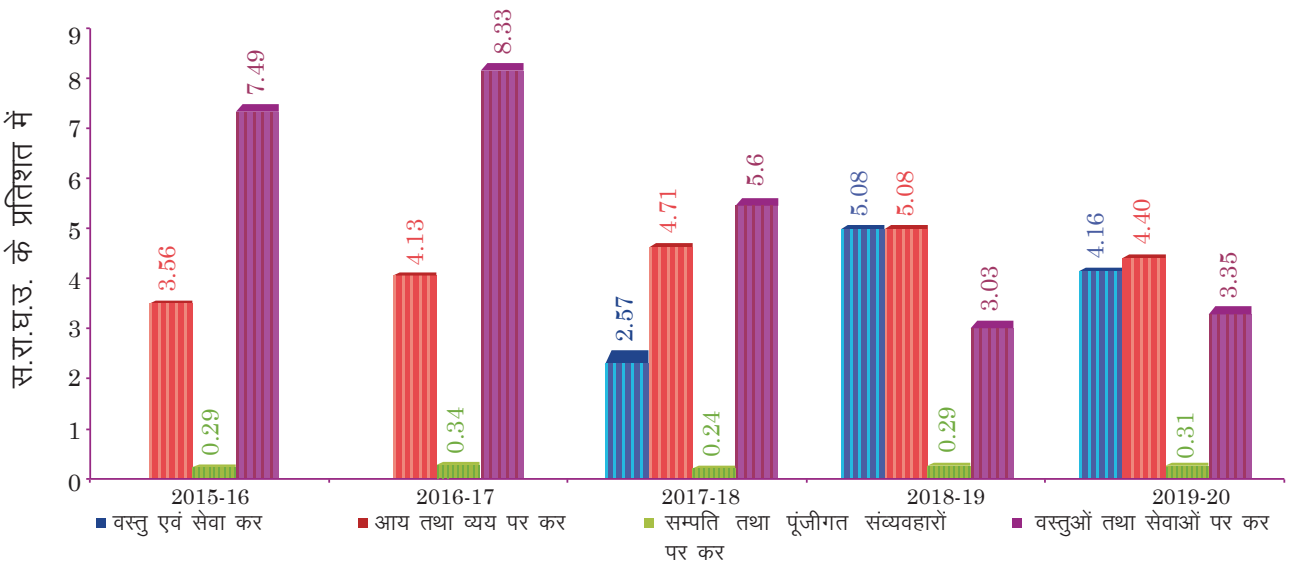

2.3.1 राज्य की स्व कर राजस्व एवं संघीय करों में राज्य का अंश संग्रहण कर प्रदर्शन

कर राजस्व दो स्रोतों से राज्य की स्व कर एवं संघीय करो का हस्तांतरण से राज्य सरकार को प्राप्त होता है।

वर्ष	कर राजस्व (₹ करोड़ में)	संघीय करों में राज्य का हिस्सा (₹ करोड़ में)	राज्य का स्व कर राजस्व: कर राजस्व (₹ करोड़ में)	राज्य का स्व कर राजस्व: स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015-16	27,448	15,969	11,479	4.74
2016-17	32,441	19,142	13,299	5.25
2017-18	33,497	21,144	12,353	4.84
2018-19	38,658	23,906	14,752	5.15
2019-20	37,364	20,593	16,771	4.89

निम्न तालिका में विगत पाँच वर्षों के दौरान कर संग्रह के दो स्रोतों को तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य का स्व कर संग्रह	11,479	13,299	12,353	14,752	16,771
संघीय करों का हस्तांतरण	15,969	19,142	21,144	23,906	20,593
कुल कर राजस्व	**27,448**	**32,441**	**33,497**	**38,658**	**37,364**
कुल कर संग्रह में राज्य का स्व कर का प्रतिशतता	42	41	37	38	45

सकल राजस्व के अनुपात में राज्य का अपना कर संग्रहण वर्ष 2015-16 से बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। वर्ष 2015-16 के तुलना में राज्य का स्व कर राजस्व में 03 *प्रतिशत* ज्यादा हो गया है।

2.3.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण का रूझान

(₹ करोड़ में)

कर	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,999	10,549	5,715	3,475	3,996
राज्य वस्तु तथा सेवा कर	-	-	4,124	8,201	8,418
राज्य उत्पाद शुल्क	912	962	841	1,083	2,009
वाहनों पर कर	633	682	778	864	1,129
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	532	607	469	451	560
विद्युत पर कर एवं शुल्क	126	152	184	209	236
भूमि राजस्व	164	240	156	389	338
वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00
अन्य कर	112.83	106.99	86	80	85
कुल राज्य का निजी कर	**11,479**	**13,299**	**12,353**	**14,752**	**16,771**

2.4 कर संग्रहण की दक्षता

(₹ *करोड़ में*)

कर	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	8,999	10,549	5,715	3,475	3,996
संग्रहण पर व्यय	48	49	63	83	80
कर वसूली पर लागत (*प्रतिशत* में)	0.53	0.46	1.10	2.38	2.00
2. राज्य उत्पाद कर					
राजस्व वसूली	912	962	841	1,083	2,009
संग्रहण पर व्यय	19	17	20	22	31
कर वसूली पर लागत (*प्रतिशत* में)	2.08	1.77	2.38	2.03	1.54
3. वाहन, माल एवं यात्री कर					
राजस्व वसूली	633	682	778	864	1,129
संग्रहण पर व्यय	7	7	7	8	7
कर वसूली पर लागत (*प्रतिशत* में)	1.11	1.03	0.90	0.93	0.62
4. स्टाम्प एवं पंजीकरण कर					
राजस्व वसूली	532	607	469	451	560
संग्रहण पर व्यय	17	20	17	22	25
कर वसूली पर लागत (*प्रतिशत* में)	3.20	3.29	3.63	4.88	4.46

अन्य करों के संग्रहण पर व्यय के मुकाबले, स्टाम्प एवं पंजीकरण कर के संग्रहण पर व्यय अत्यधिक था।

2.5 विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सा की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का वर्णन	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
निगम कर	5,031	6,135	6,475	8,313	7,021
निगम कर से भिन्न आय पर कर	3,503	4,264	5,467	6,122	5,502
धन कर	1	14	(-)0.19	3.05	0.32
सीमा शुल्क	2,551	2,639	2,134	1,694	1,305
संघ उत्पाद शुल्क	2,117	3,013	2,230	1,126	908
सेवा कर	2,755	3,077	2,404	220	0.00
एकीकृत माल एवं सेवा कर	---	---	2,134	471	0.00
केंद्रीय माल एवं सेवा कर	---	---	299	5,900	5,844
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	10	(*)	(-)0.01	12.34	13.04
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	**15,968**	**19,142**	**21,143**	**23,906**	**20,593**
कुल कर राजस्व	**27,448**	**32,441**	**33,497**	**38,658**	**37,364**
कुल कर राजस्व की संघीय करों की प्रतिशतता	58	59	63	62	55

(*) यहाँ पर मात्र ₹ 7,000 है।

2.6 सहायक अनुदान

सहायतार्थ अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती हैं तथा इसमें नीति आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य आयोजनागत योजनाएं एवं केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान सम्मिलित है। 2019-20 के दौरान सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 12,303 करोड़ नीचे दर्शाया गया हैं–

सहायक अनुदान

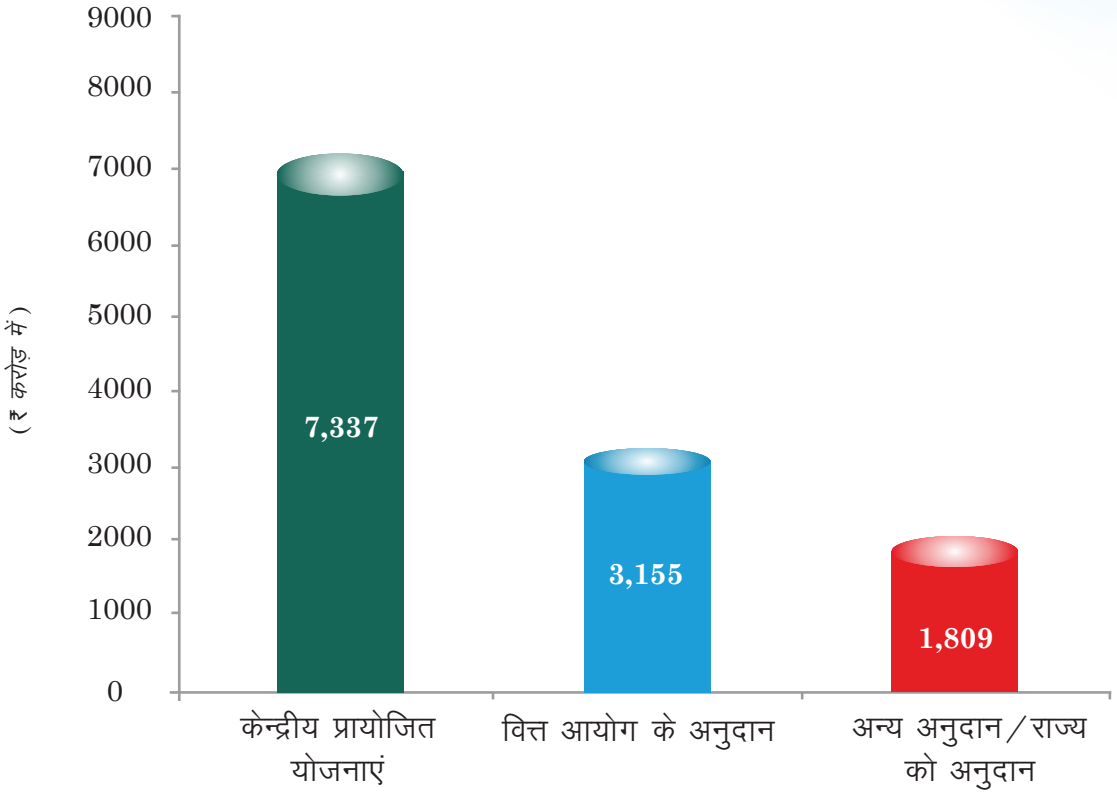

भारत सरकार से गैर-योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से राज्यों को सहायता अनुदान को छोड़ दिया गया है। योजना के लिए सहायता अनुदान का हिस्सा (केन्द्रीय प्रयोजित योजनाएँ वित्त आयोग के अनुदान एवं अन्य अनुदान/राज्यों को अनुदान) 2016-17 में 26 *प्रतिशत,* 2017-18 में 56 *प्रतिशत,* 2018-19 में 26 *प्रतिशत* तथा 2019-20 में 68 *प्रतिशत* की वृद्धि वर्ष 2015-16 में प्राप्त सहायता अनुदान की तुलना में हुई। सहायक अनुदान का बजट अनुमान ₹ 13,834 करोड़ के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा वास्तव में ₹ 12,303 करोड़ सहायता अनुदान (बजट अनुमान का 89 *प्रतिशत*) प्राप्त हुआ है।

सहायक अनुदान का रूझान

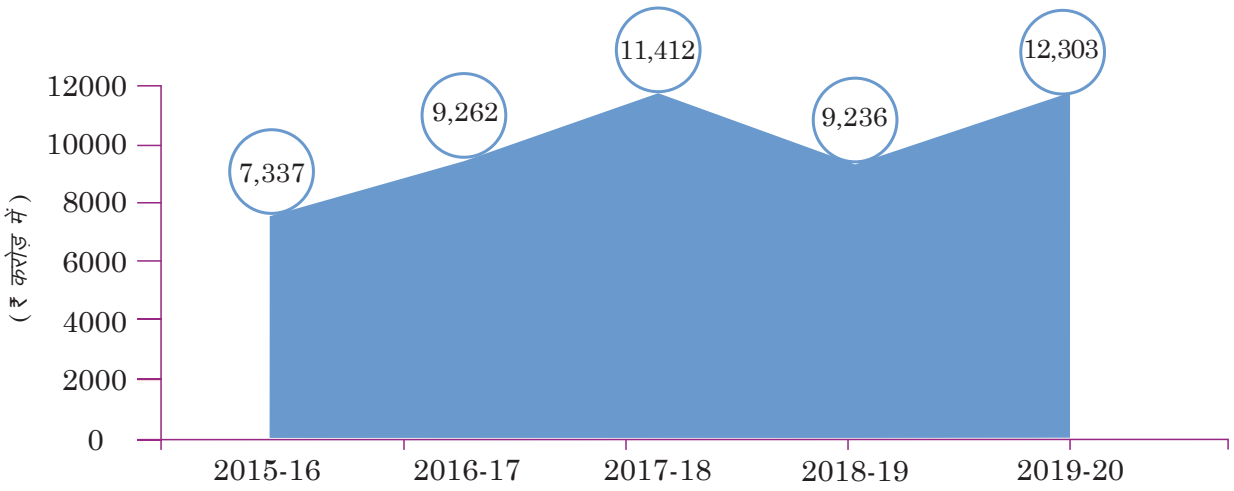

2.7 लोक ऋण

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरणी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आन्तरिक ऋण	13,080	6,847	7,905	7,530	9,167
केन्द्रीय कर्जे	165	234	232	273	426
कुल लोक ऋण	**13,245**	**7,081**	**8,137**	**7,803**	**9,593**

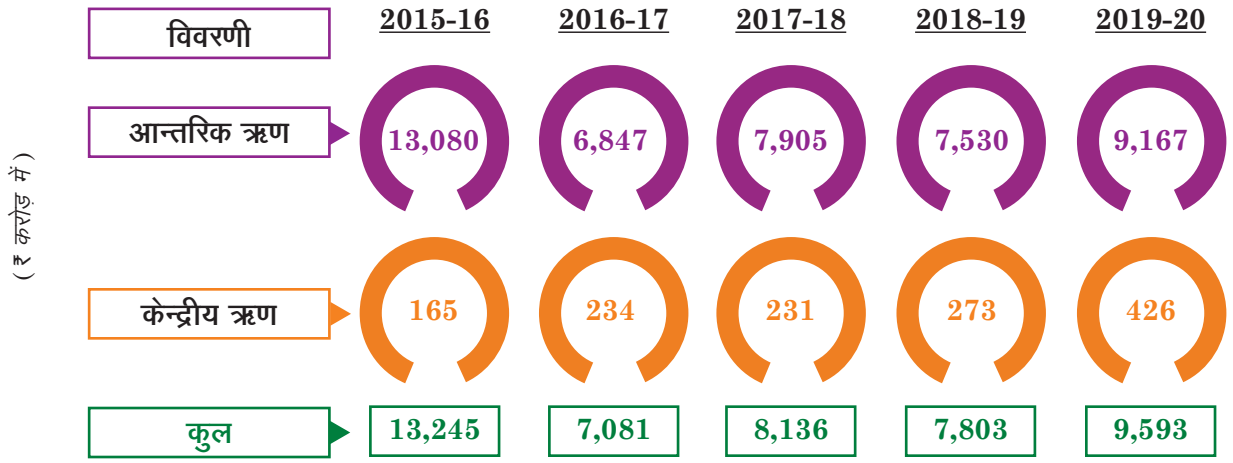

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 7,500 करोड़ ऋण 6.99 *प्रतिशत* से 8.10 *प्रतिशत* की ब्याज की दर से, खुला बाजार से छः ऋण उठाए गए थे जो वर्ष 2027-32 तक प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 1,667 करोड़ उठाये। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में कुल आन्तरिक ऋण ₹ 9,167 करोड़ लिया गया। सरकार को ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 426 करोड़ प्राप्त हुआ।

अध्याय – 3
व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग किसी संगठन के दिन–प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा ऐसी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि अथवा स्थायी दायित्वों में कमी के लिए किया जाता है। व्यय को अग्रेतर राज्य स्कीम एवं स्थापना व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएँ – न्याय, पुलिस, जेल लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि शामिल है।

सामाजिक सेवाएँ – शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल पूर्ति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण इत्यादि शामिल है।

आर्थिक सेवाएँ – कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल है।

3.2 राजस्व व्यय

विगत पाँचों वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन के विरुद्ध व्यय में ह्रास/आधिक्य को नीचे दर्शाया गया है :–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बजट प्राक्कलन	43,343	48,762	57,861	62,745	65,803
वास्तविकी	36,553	45,089	50,952	50,631	56,457
अन्तर (-) बचत / (+) आधिक्य	(-)6,790	(-)3,673	(-)6,909	(-)12,114	(-)9,346
बजट प्राक्कलन के ऊपर अन्तर की प्रतिशतता	(-)16	(-)8	(-)12	(-)19	(-)14

कुल राजस्व व्यय का लगभग 50 *प्रतिशत* प्रतिबद्ध व्यय पर जैसे वेतन एवं मजदूरी (₹ 12,832 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 5,308 करोड़), पेंशन (₹ 6,005 करोड़) एवं सबसिडी (₹ 4,275 करोड़) पर खर्च किया गया जो कि राज्य सरकार के प्रतिबद्ध दायित्व थे।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

संघटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल राजस्व व्यय	36,553	45,089	50,952	50,631	56,457
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	16,050	19,093	23,236	25,073	28,420
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का *प्रतिशत*	44	42	46	50	50
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	20,503	25,996	27,716	25,558	28,037

\# *प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज, पेंशन एवं सबसिडी भुगतान पर किया खर्च सम्मिलित है।*

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय के वर्ष 2019-20 में काफी वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्यय, वर्ष 2015-16 में ₹ 36,553 करोड़ से वर्ष 2019-20 में ₹ 56,457 करोड़ 54 *प्रतिशत* बढ़ गया तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 77 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

3.2.1 राजस्व व्यय (2019-20) का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)

संघटक	राशि	प्रतिशतता
क. राज्य के अंग	**924**	**1.64**
ख. राजकोषीय सेवायें		
(i) सम्पत्ति एवं पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	389	0.69
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	120	0.21
(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	3	0.01
ग. ब्याज अदायगियाँ एवं ऋण शोधन कार्य	**5,308**	**9.40**
घ. प्रशासनिक सेवायें	**5,964**	**10.56**
च. पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	**6,007**	**10.64**
छ. सामाजिक सेवायें	**21,448**	**37.99**
ज. आर्थिक सेवायें	**16,294**	**28.86**
झ. सहायक अनुदान एवं अंशदान	**...**	**...**
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**56,457**	**100.00**

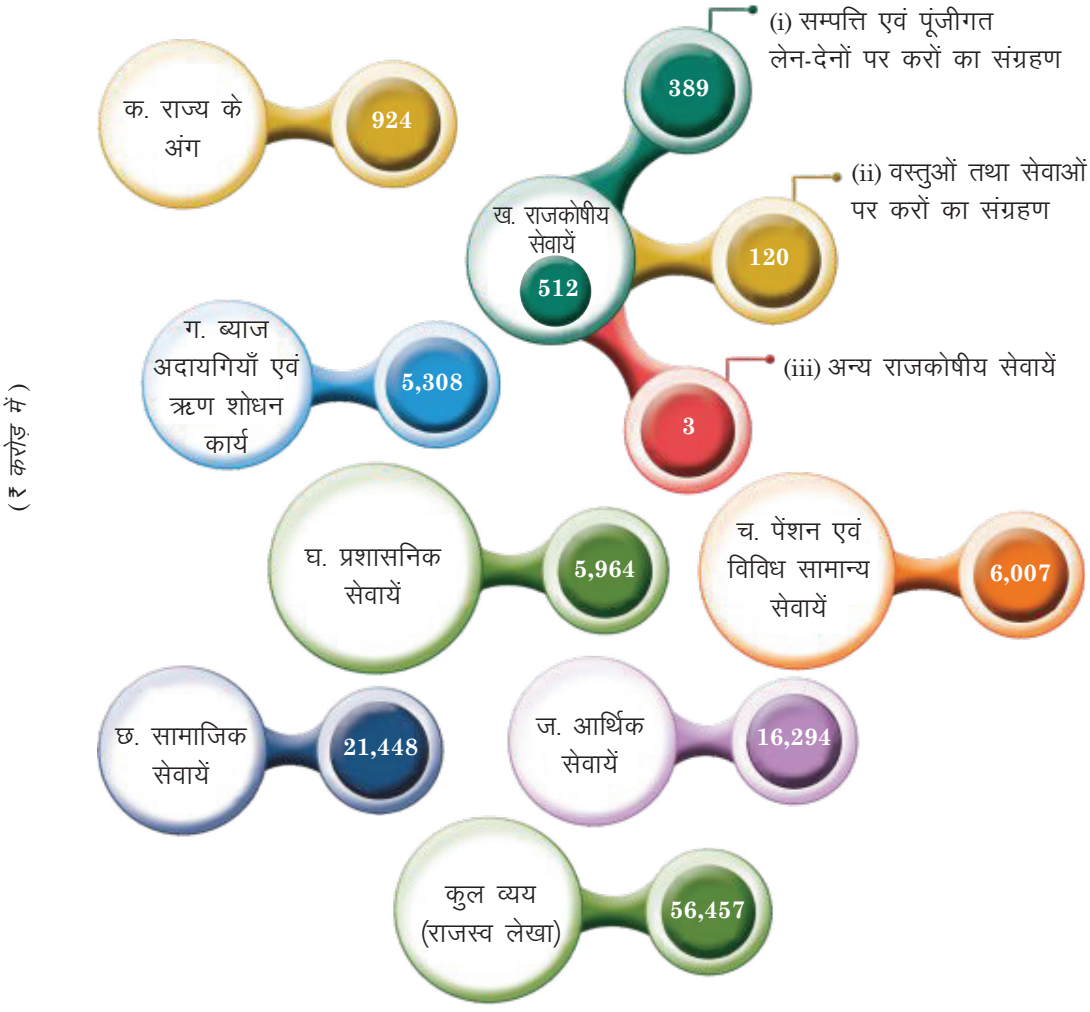

3.2.2 राजस्व व्यय (2015-16 से 2019-20) के मुख्य घटक

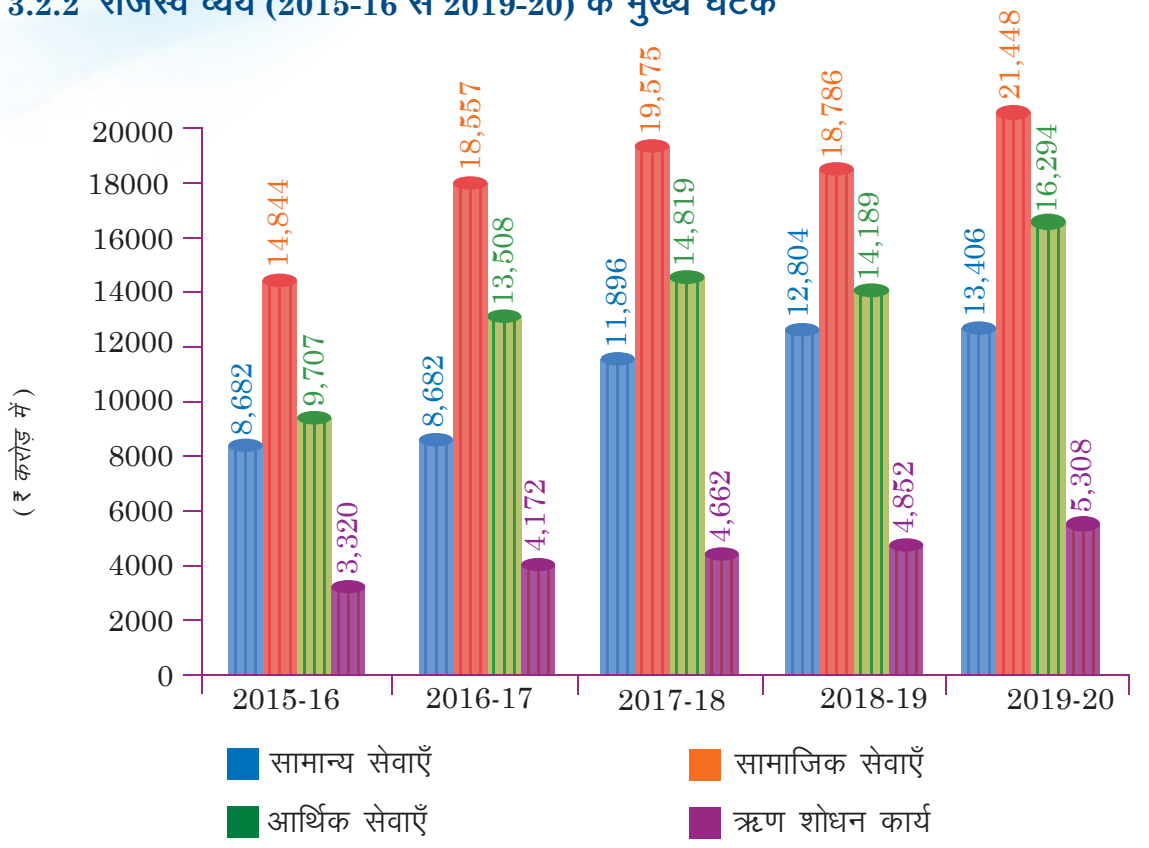

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय वृद्धि प्रक्रिया को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यन्त जरूरी है। वर्ष 2019-20 में ₹ 10,044 करोड़ के पूंजीगत व्यय (जी.एस.डी.पी. की 3 *प्रतिशत*) बजट अनुमानों से ₹ 3,832 करोड़ कम था (अधिक व्यय ₹ 59 करोड़ स्थापना व्यय के अधीन एवं ₹ 3,891 करोड़ कम व्यय राज्य स्कीम के अधीन)। वर्ष 2015-16 से पूंजीगत व्यय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समान्तर वृद्धि नहीं की। जैसा की नीचे सारणी से प्रतीत होता है।

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	बजट अनुमान	8,761	6,995	12,738	12,306	13,876
2	वास्तविक व्यय (#)	15,639	12,196	13,804	12,198	10,044
3	बजट अनुमानों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	179	174	108	99	72
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	146	(-)22	13	(-)12	(-)18
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,41,955	2,53,536	2,55,271	2,86,598	3,43,126
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	**23**	5	1	12	20

(#) इसमें ऋणों एवं अग्रिमों का व्यय सम्मिलित है।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार के द्वारा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर ₹ 348 करोड़, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर ₹ 165 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास योजना पर ₹ 1,991 करोड़ तथा सड़क एवं सेतु पर ₹ 3,674 करोड़ खर्च किया गया।

3.3.2 पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण

विगत पाँच वर्षों में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रावार विवरण निम्न दिखाया गया है :–

(₹ करोड़ में)

खण्ड		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवाएँ	पूंजी	571	590	807	791	1,239
	राजस्व	12,002	13,024	16,558	17,656	18,714
सामाजिक सेवाएँ	पूंजी	1,023	1,532	1,528	1,615	1,430
	राजस्व	14,844	18,557	19,575	18,786	21,448
आर्थिक सेवाएँ	पूंजी	6,564	8,739	9,618	8,305	7,209
	राजस्व	9,707	13,508	14,819	14,189	16,294
सहायता अनुदान	पूंजी	8	105	--	--	--
	राजस्व	14,883	20,227	20,714	17,976	19,191

3.4 लेखांकन मानकों का अनुपालन

(i) **सरकारों द्वारा दी गई गारंटी (आईजीएएस–1) :** राज्य सरकार द्वारा किसी भी राज्य सरकार के उपक्रमों, सरकारी उद्यमों इत्यादि को दी गई गारंटी सूचित नहीं की गई है। हालांकि डी.वी.सी. से खरीदी जा रही विद्युत के विरुद्ध मासिक बिल के भुगतान के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को अतिरिक्त ऋण पत्र खोले जाने के लिये झारखण्ड विद्युत बोर्ड को ₹ 157.15 करोड़ की इसमें अतिरिक्त ₹ 450 करोड़ 31-03-2020 तक झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को दिया गया है राज्य गारंटी प्रदान की गई।

(ii) **सहायक अनुदान का लेखा वर्गीकरण (आईजीएएस–2) :** वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने पूंजीगत परिव्यय से कोई सहायक अनुदान नहीं दिया है।

(iii) **सरकार द्वारा लिखे गए ऋण और अग्रिम :** ऋण और अग्रिमों के लिए भारत सरकार के लेखा मानकों के तहत आवश्यक जानकारी अपूर्ण है, क्योंकि इसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। ऋण और अग्रिमों के संबंध में 31 मार्च 2020 को अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी, जिसका लेखा–जोखा राज्य सरकार द्वारा रखा जाता है, भी प्रतीक्षित है। व्यक्तिगत लेनदारों के ऋणों के पूनर्भुगतान की शेष राशि की जानकारी, जिसके लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा विस्तृत लेखों को व्यवस्थित रखना है, भी राज्य सरकार से प्रतीक्षित है। इसके अलावा मुख्यालय द्वारा निर्धारित आईजीएएस–1, 2 एवं 3 पर जानकारी/सूचनाओं को व्यक्त करने वाला मानक प्रारूप वित्त लेखे के खण्ड–I एवं खण्ड–II के प्रसंगिक विवरणों में अपनाया गया है।

अध्याय – 4
राज्य स्कीम (सी.ए.एस.सी. एवं सी. एस.एस. सहित) एवं स्थापना व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2019-20)

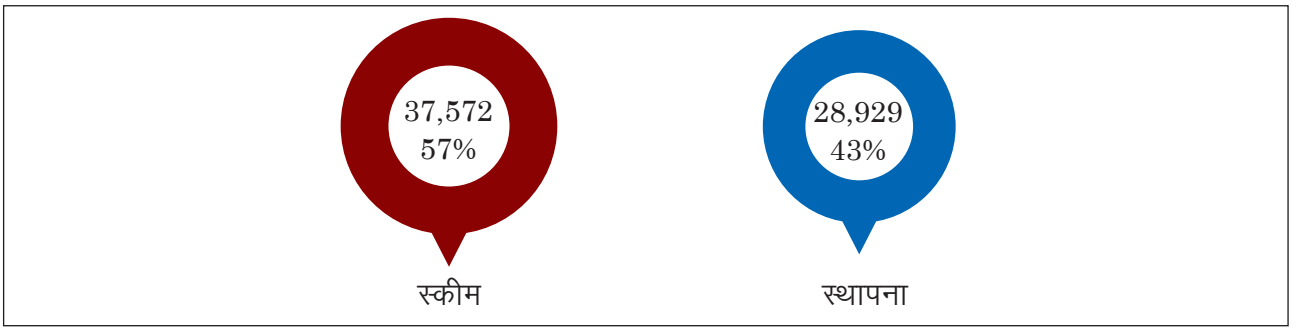

4.2 योजना व्यय

वर्ष 2019-20 के दौरान, योजना व्यय ₹ 26,857 करोड़ राज्य योजना के अधीन, ₹ 10,602 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजनागत योजना के अधीन तथा ₹ 89 करोड़ कर्ज एवं अग्रिम के अधीन ₹ 37,572 करोड़ था, जो कि कुल संवितरण ₹ 66,501 करोड़ का 56 *प्रतिशत* को इंगित करता है।

कुल व्यय एवं स.रा.घ.उ. के अनुपात में योजना व्यय

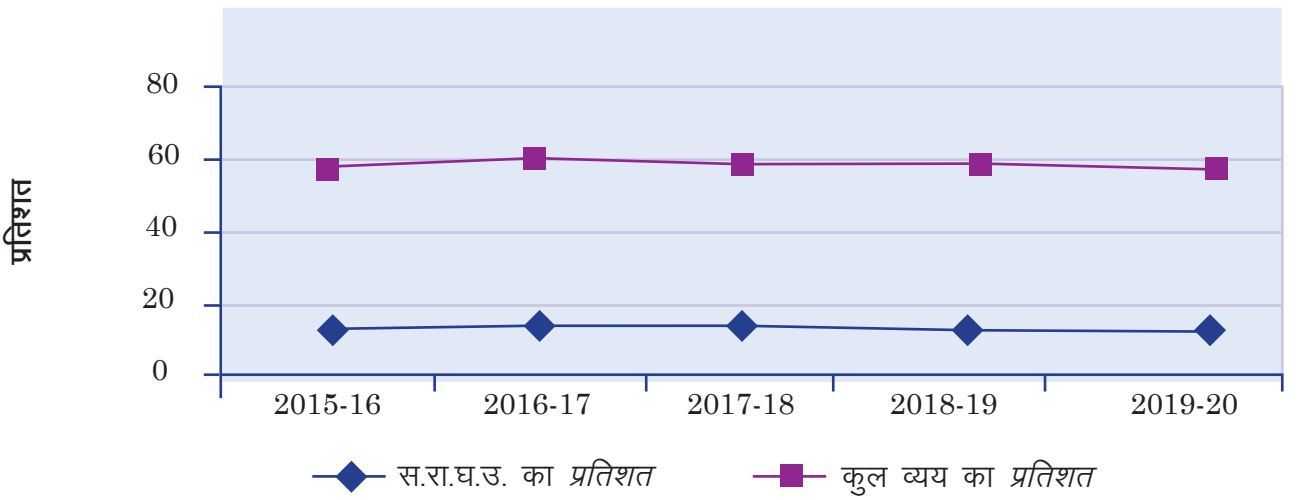

वर्ष 2019-20 में राजस्व खण्ड के अधीन योजना व्यय ₹ 27,627 करोड़ जो वर्ष 2018-19 में ₹ 23,983 करोड़ से 15.19 *प्रतिशत* अधिक है। वर्ष 2019-20 में पूंजीगत खण्ड में व्यय ₹ 9,945 करोड़ जो वर्ष 2018-19 के ₹ 12,083 करोड़ से 17.69 *प्रतिशत* कम है। योजना व्यय में केन्द्र प्रायोजित योजना/केन्द्रीय सेक्टर योजना (राजस्व ₹ 9,628 करोड़ एवं पूंजीगत ₹ 974 करोड़) का हिस्सा वर्ष 2018-19 में ₹ 9,097 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 10,602 हो गया।

4.2.1 पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय

(₹ *करोड़ में*)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल पूंजी व्यय	15,639	12,196	13,804	12,198	10,044
कुल पूंजी व्यय (स्कीम)	15,494	12,072	13,646	12,083	9,945
कुल पूंजी व्यय का पूंजी व्यय (स्कीम) की प्रतिशतता	99	99	99	99	99

4.2.2 ऋणों एवं अग्रिमों पर स्कीम व्यय

ऋण एवं अग्रिम पर महत्वपूर्ण व्यय निम्न थे:

मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	उद्देश्य
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	89	बहुत सारे बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज
कुल	89	

4.3 स्थापना व्यय

कुल व्यय एवं स.रा.घ.उ. के अनुपात में योजना व्यय

वर्ष 2019-20 के दौरान स्थापना व्यय (₹ 28,830 करोड़ राजस्व के अधीन एवं ₹ 99 करोड़ पूंजी के अधीन) ₹ 28,929 करोड़ था, जो कुल संवितरण ₹ 66,501 करोड़ का 44 *प्रतिशत* को इंगित करता है।

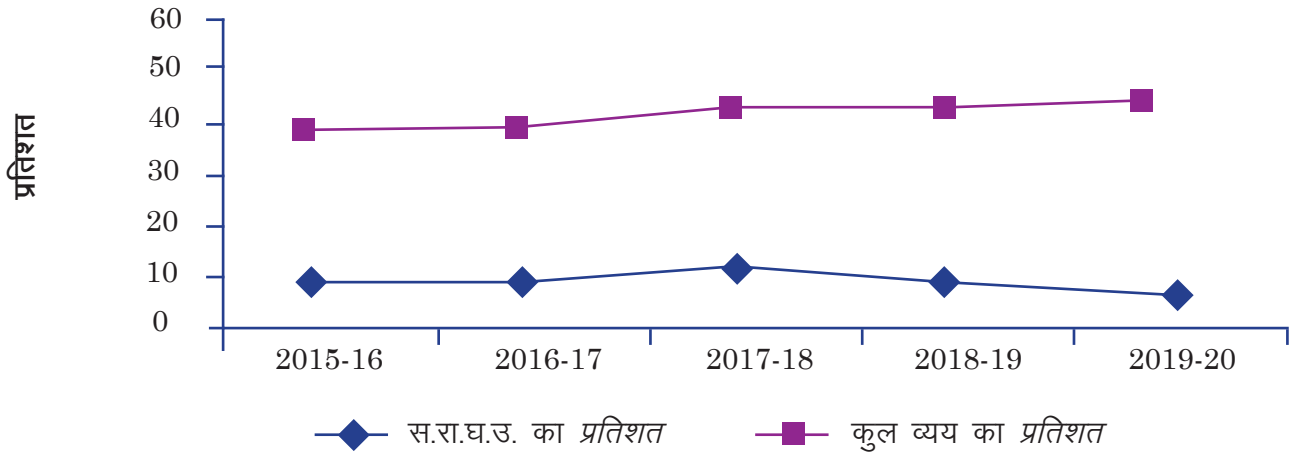

4.4 वचनबद्ध व्यय

वर्ष 2019-20 के दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान में पूर्व के वर्षों के मुकाबले वृद्धि हुई जो मुख्यतः वेतन एवं पेंशन पुनरीक्षण के कारण हुई है।

वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति

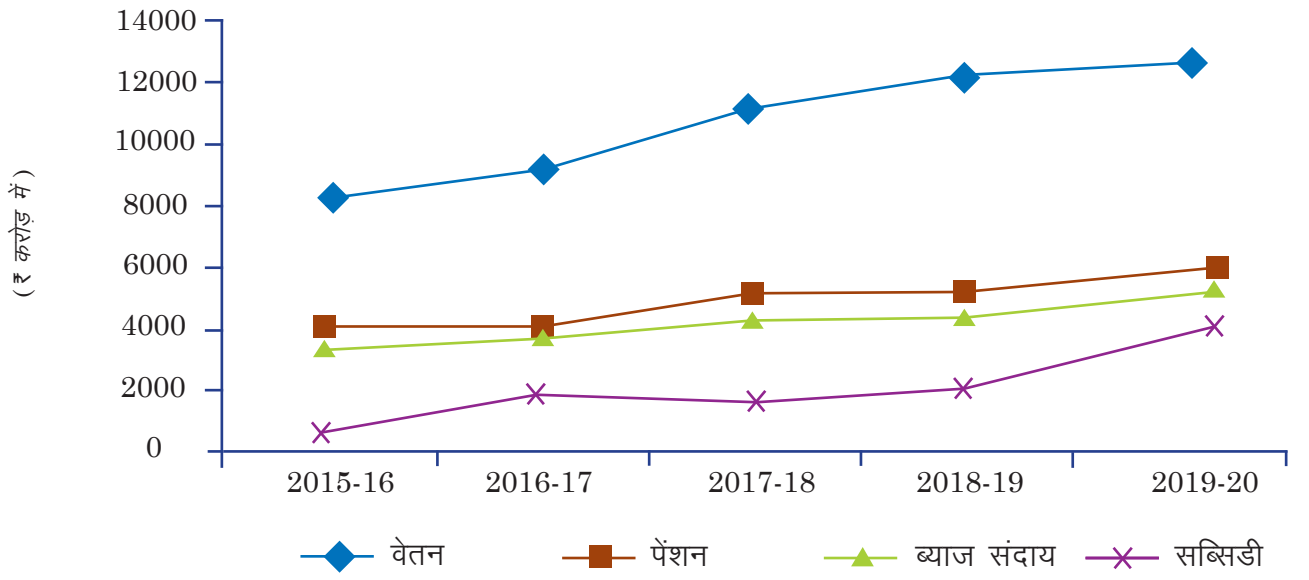

विगत पाँच वर्षों का राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का तुलनात्मक वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति –

(₹ *करोड़ में*)

संघटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वचनबद्ध व्यय	16,050	19,093	23,236	25,073	28,420
राजस्व व्यय	36,553	45,089	50,952	50,631	56,457
राजस्व प्राप्तियाँ	40,638	47,054	52,756	56,152	58,417
राजस्व प्राप्तियाँ का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	39	41	44	45	49
राजस्व व्यय का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	44	42	46	50	50

वचनबद्ध व्यय वर्ष 2015-16 से 2019-20 में 77 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय इसी अवधि के दौरान 54 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। वचनबद्ध व्यय में अत्यधिक वृद्धि सरकार को विकासात्मक खर्च में कम लचीलापन लाने के लिए बाध्य करता है।

अध्याय – 5
विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2019-20 के लिए विनियोग लेखे का सारांश

(₹ *करोड़ में*)

क्र. स.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निबल)	बचत (-) अधिक व्यय (+)
1.	**राजस्व**						
	दत्तमत	60,219	8,096	0	68,315	51,387	(-)16,928
	प्रभारित	5,584	28	0	5,612	5,431	(-) 181
2.	**पूंजी**						
	दत्तमत	13,877	801	0	14,678	9,879	(-) 4,799
3.	**लोक ऋण**						
	प्रभारित	3,844	410	0	4,254	4.231	(-) 23
4.	**कर्ज एवं अग्रिम**						
	दत्तमत	1,905	0	0	1,905	165	(-) 1,740
	कुल						
	दत्तमत	**77,906**	**8,897**	**0**	**84,898**	**61,431**	**(-) 23,467**
	प्रभारित	**9,428**	**438**	**0**	**9,866**	**9,662**	**(-) 204**

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृत्ति

(₹ *करोड़ में*)

वर्ष	बचत (-) / अधिक व्यय (+)				कुल
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्ज एवं अग्रिम	
2015-16	(-) 14,275	(-) 2,673	(-) 28	(-) 549	(-) 17,525
2016-17	(-) 11,378	(-) 1,818	(+) 11	(-) 347	(-) 13,532
2017-18	(-) 11,393	(-) 2,238	(-) 108	(-) 171	(-) 14,456
2018-19	(-) 16,639	(-) 3,140	(-) 445	(-) 158	(-) 20,382
2019-20	(-) 17,109	(-) 4,799	(-) 23	(-) 1,740	(-) 23,671

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

किसी अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत यह दर्शाता है कि किसी खास योजनाओं/कार्यक्रमों का या तो कार्यान्वयन नहीं किया गया या मन्द गति से कार्यान्वयन किया गया।

कुछ अनुदानों के निरंतर एवं महत्वपूर्ण बचतें नीचे दिए गए हैं :–

अनुदान	नामकरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	(प्रतिशत में)					
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	54	32	38	48	39
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	38	27	30	22	32
29	खनन एवं भू–तत्व विभाग	43	49	69	50	32
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	31	17	26	21	22

उद्योग, खान, भू–विज्ञान विभाग, कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के अंतर्गत निरंतर बचत योजनाओं को क्रियान्वयन के समय कम प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विधायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बढ़े हुए बजट अनुमानों अथवा अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने की सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है। जहाँ वर्ष 2019-20 के दौरान कुछ मामलों में कुल ₹ 9,336 करोड़ (कुल व्यय का 13 *प्रतिशत*) का अनुपूरक अनुदान/विनियोग अनावश्यक साबित हुआ, वहीं वर्ष के अन्त में मूल आवंटन के विरुद्ध भी पर्याप्त बचत पाया गया। कुल मामले नीचे दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

अनुदान	नामकरण	प्रभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	राजस्व	3,231	143	2,062
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	3,533	926	3,059
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	3,529	289	2,781
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	राजस्व	1,790	50	641
41	पथ निर्माण विभाग	पूंजी	4,700	50	3,674

अनुदान	नामकरण	प्रभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	राजस्व	5,587	1360	4,453
55	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	राजस्व	1,945	156	951
59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	राजस्व	7,222	415	6,401
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	4,292	635	3,912

अध्याय – 6
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

6.1 परिसम्पत्तियाँ

वर्तमान लेखा पद्धति में अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के अतिरिक्त सरकारी परिसम्पत्तियों जैसे – भूमि, भवन इत्यादि के मूल्यांकन का चित्रण सहजतापूर्वक नहीं होता है। इसी प्रकार लेखे जहाँ चालू वर्ष में प्रकट होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाता है वहीं ब्याज की दर तथा ऋण की वर्तमान अवधि द्वारा सीमित सीमा तक दर्शाये जाने के अतिरिक्त आनेवाली पीढ़ियों के लिए दायित्वों के सम्पूर्ण प्रभाव का चित्रण नहीं होता है।

वर्ष 2019-20 के अंत में गैर–वित्तीय सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यू.) में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 447.95 करोड़ था। यद्यपि, वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश कुल निवेश पर शून्य था। 2019-20 के दौरान निवेश में ₹ 15.08 करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन लाभांश आय शून्य थी।

31 मार्च 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक का नगदी शेष ₹ 188 करोड़ था जो मार्च 2020 के अंत तक घटकर ₹ (-) 54 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में सरकार ने 121 अवसरों पर, ₹ 66,521 करोड़ की राशि 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹ 63,618 करोड़ के मूल्य का 190 अवसरों पर पुनः बट्टा चुकाया। वर्ष 2019-20 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :–

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष का निवेश			
1 अप्रैल 2019 को शेष	**2019-20 के दौरान खरीद**	**2019-20 के दौरान विक्रय**	**31 मार्च 2020 को अन्तिम शेष**
168	66,521	63,618	3,071

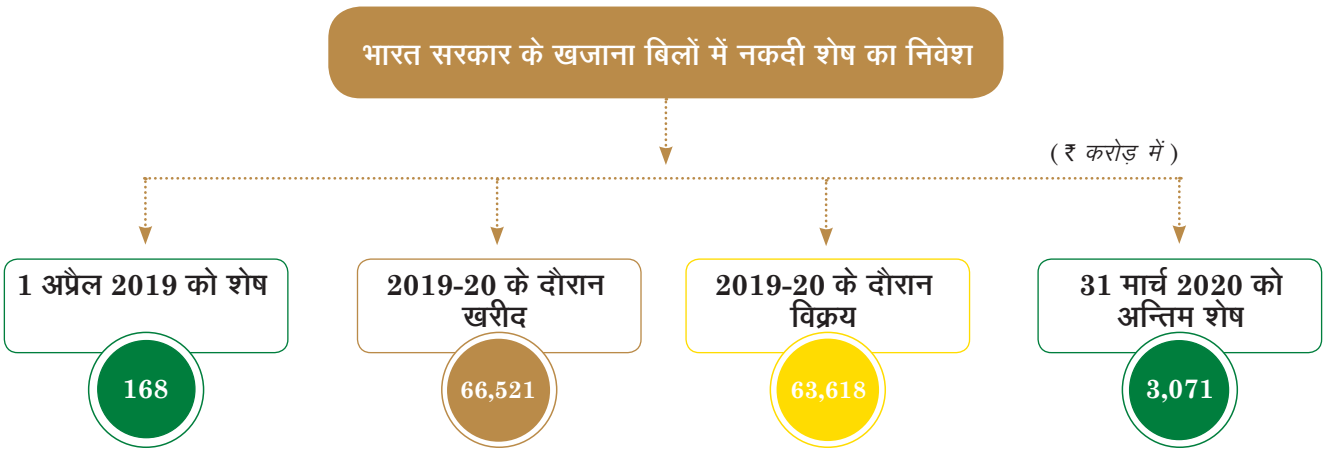

6.2 ऋण एवं दायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को, समेकित निधि की अभिरक्षा पर, एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधान मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, उधार लेने कि शक्तियाँ प्रदान करता है। वर्ष 2019-20 के लिए यह सीमा ₹ 8,261 करोड़ था, इसके विरूद्ध झारखण्ड सरकार ने ₹ 8,261 करोड़ का बाजार ऋण लिया।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षों का विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*	लोक लेखा*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*	कुल देयताएँ (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*
2015-16	45,841	18	10,689	4	56,530	22
2016-17	50,845	20	15,982	6	66,827	26
2017-18	56,032	22	21,063	8	77,095	30
2018-19	60,775	21	23,008	8	83,783	29
2019-20	66,137	19	28,270	8	94,407	28

** उचन्त तथा विविध एवं प्रेषण शेषों को छोड़कर*

वर्ष 2019-20 में लोक ऋण तथा कुल दायित्वों में, पिछले वर्ष से ₹ 10,624 करोड़ (13 *प्रतिशत*) की निवल वृद्धि हुई।

सरकार के दायित्वों का रूझान

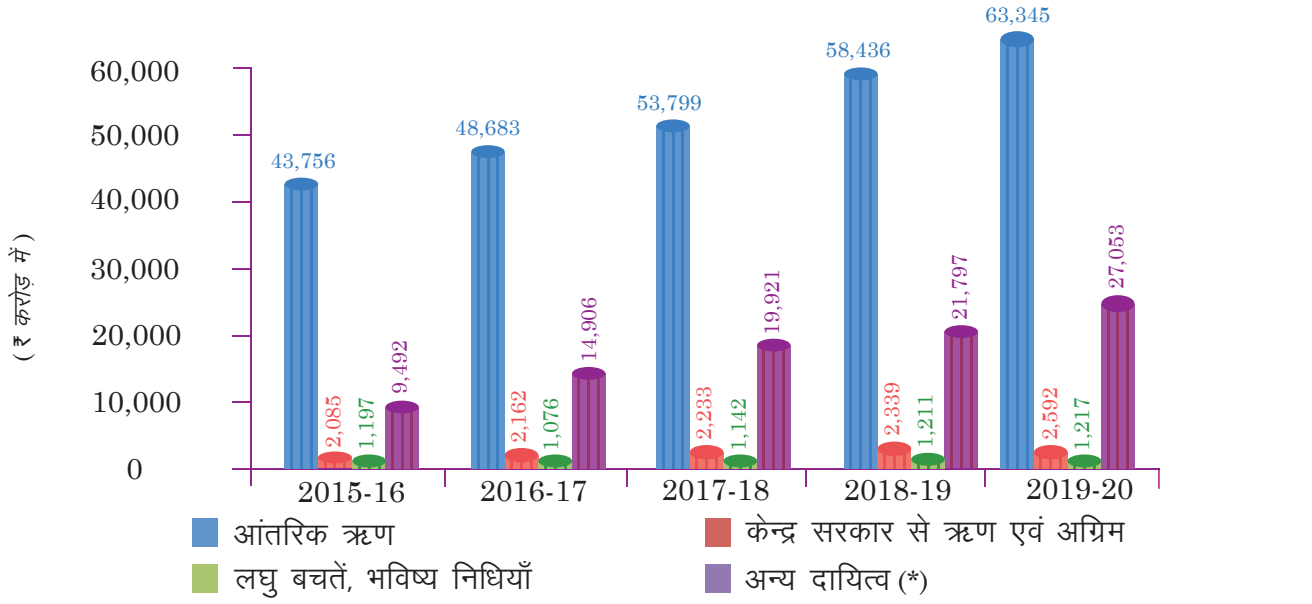

** ब्याज एवं ब्याज रहित दायित्व जैसे लोकल निधि में जमा, अन्य कर्णाकित निधि आदि।*

6.3 निवेश एवं वापसियाँ

वर्ष 2019-20 के अन्त में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में पूंजीगत हिस्सा के रूप में कुल निवेश ₹488 करोड़ था। जबकि सांविधिक निगमों, ग्रामीणों बैंको, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में निवेश में ₹ 15 करोड़ की अभिवृद्धि हुई।

6.4 राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2019-20 के अन्त में राज्य सरकार द्वारा दिया गया कुल कर्जे एवं पेशगियाँ ₹ 20,846 करोड़ था, इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को कर्जे एवं पेशगियाँ ₹ 20,818 करोड़ था, 31 मार्च 2020 के अन्त मूलधन एवं ब्याज की वापसी ₹ 1,663 करोड़ तथा ₹ 1,473 करोड़ का बकाया है।

6.5 प्रत्याभूति

सीधे ऋण जुटाने के अलावा, राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बजट और वित्तीय संस्थान से सरकारी कंपनियों और निगम द्वारा उठाए गए ऋणों की गारंटी दी है। इन गारंटी (प्रत्याभूति) को राज्य बजट से बाहर रखा गया है।

वर्ष के अन्त में	गारन्टी की अधिकतम राशि (मूलधन)	वर्ष के अन्त में बकाया गारन्टी	
		मूलधन	ब्याज
2015-16	---	157	---
2016-17	---	157	---
2017-18	---	157	---
2018-19	---	607	---
2019-20	---	607	---

अध्याय – 7
अन्य मदें

7.1 आंतरिक ऋण के अधीन शेष

राज्य सरकारों का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के द्वारा शासित होता है। लिए गए प्रत्यक्ष कर्जों के अतिरिक्त विभिन्न योजनागत योजनाओं तथा कार्यक्रमों, जो राज्य बजट से बहिर्विष्ट होते हैं, का क्रियान्वयन हेतु बाजार एवं वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा उठाये गये कर्जों को भी राज्य सरकारें गारंटी देती हैं। इन कर्जों को संबंधित प्रशासकीय विभागों की प्राप्तियों के जैसा प्रतिपादित किया जाता है जो सरकार की पुस्तकों में प्रकट नहीं होता है। मार्च 2020 के आंतरिक ऋण के अधीन शेष ₹ 63,545 करोड़ था।

7.2 स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता

वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2018-19 में ₹ 17,976 करोड़ दिया गया, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर ₹ 19,191 करोड़ हो गया।

वर्ष के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नागरपालिकाओं को ₹ 4,003 करोड़ का अनुदान दिया गया, जो कुल अनुदान का 21 *प्रतिशत* था।

विगत तीन वर्षों में दिए गए सहायक अनुदान का ब्यौरा निम्नवत् है –

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषदों	नगर पालिकाओं	पंचायत समितियों	अन्य	कुल
2017-18	1,270	1,155	0.00	18,289	20,714
2018-19	2,938	1,497	0.00	13,541	17,976
2019-20	261	2,859	0.00	16,071	19,191

7.3 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का मिलान

(₹ करोड़ में)

संघटक	1 अप्रैल 2019 को	31 मार्च 2020 को	निवल वृद्धि (+) / ह्रास (-)
रोकड़ शेष	188	(-) 54	(-) 242
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार, कोषागार विपत्र)	168	3,071	2,903
ब्याज सिद्ध	31	147	116

7.4 लेखे का पुनर्मिलान

वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 70,732.17 करोड़ का सिर्फ 74.45 *प्रतिशत* (₹ 52,663.19 करोड़) का मिलान किया गया। इसी प्रकार ₹ 68,059.45 करोड़ की कुल प्राप्ति में से 97.33 *प्रतिशत* (₹ 66,243.77 करोड़) का ऑनलाइन मिलान किया गया।

7.5 कोषागार द्वारा लेखे का प्रेषण

कोषागार द्वारा प्रारम्भिक लेखे का प्रेषण संतोषजनक है। यद्यपि लोक निर्माण कार्यों एवं वन विभाग द्वारा लेखे की प्रस्तुति में सुधार होना चाहिए।

7.6 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 2016 के नियम 261 के तहत् सक्षम स्वीकृति प्रधिकारी के प्राधिकारी अधीन स्वीकृत राशि को छोड़कर सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान, अंशदान इत्यादि की राशि को कोषागार में संवितरित नहीं किया जा सकेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में आहरित राशि के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संस्वीकृति प्राधिकारी को स्वीकृत्यादेश निर्गत करना चाहिए। निर्धारित अवधि के उपरांत बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र के लिए, निहित उद्देश्यो के लिए अनुदान की उपयोगिता पर आश्वासन नहीं प्रदान किया जा सकता। बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति नीचे अंकित है :–

उपयोगिता प्रमाण–पत्र की सारणी :–

वर्ष *	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि (₹ *करोड़ में*)
2017-18 तक	20,878	33,330
2018-19	3,997	18,938
2019-20	4,483	17,435
योग	**29,358**	**69,703**

* *उपर वर्णित वर्ष 'बकाया वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक निकासी के 12 माह के पश्चात्। इस मामले को बार–बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।*

7.7 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी सेवा शीर्षो को नामे द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अधिकृत है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि एक विशिष्ट अवधि के दरम्यान सभी मामलों में उप–वाउचरों द्वारा समर्थित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करें। वर्तमान में वर्ष 2000-01 से 2019-20 तक ₹ 6,444 करोड़ की राशि का 18,219 विस्तृत आकस्मिक विपत्र द्वारा राशि का आहरण संवितरण को प्रतिविम्बित करता है किन्तु किए गए वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:–

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों (ए.सी.) की सारणी

वर्ष	लम्बित विस्तृत आकसिमक विपत्रों (डी.सी.) की संख्या	राशि (₹ *करोड़ में*)
2017-18 तक	17,728	4,476
2018-19	191	361
2019-20	300	1,607
योग	**18,219**	**6,444**

7.8 अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर कुल ₹ 1,310.25 करोड़ का व्यय किया गया।

7.9 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

विद्युत वितरण कम्पनियों के पुनर्जीवित पैकेज के अनुसार, झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उदय के अन्तर्गत सहायता के रूप में कुल ₹ 6,136.37 करोड़ की राशि वितरण कम्पनियों को प्रदान किया गया, जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सहभागी/ऋणादि बैंकों को जारी नॉन एस.डी.एल. बॉन्ड्स के द्वारा ₹ 5,553.37 करोड़ की राशि उगाही की गई जबकि राज्य में संचित निधि से ₹ 583.00 करोड़ की राशि दी गई। ₹ 6,136.37 करोड़ की सम्पूर्ण राशि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज के रूप में दिया गया।

7.10 व्यय की तीव्रता

वित्तीय नियमावली का शर्त है कि व्यय की तीव्रता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में यदि हो, तो वह वित्तीय नियमितता के उल्लंघन को प्रदर्शित करता है, जिसे टाला जाना चाहिए। यद्यपि, मार्च 2020 के दौरान चयनित निश्चित लेखा शीर्षो के उन्तर्गत किए गए व्यय, जो कि वर्ष के दौरान कुल व्यय का 51 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* के बीच था, वित्तीय वर्ष के अन्त में बजट के उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित करता है।

वर्ष 2019-20 के चार तिमाही के दौरान नीचे उल्लेखित शीर्षों में व्यय का प्रवाह निम्नवत् था :–

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च के दौरान	वर्ष 2019-20 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2020 की प्रतिशतता
3055	सड़क परिवहन	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	100.00
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	1.22	100.00
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	100.00
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	100.00
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.15	44.31	44.46	43.73	98.36
4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.07	0.08	4.92	5.07	4.60	90.73
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.96	0.78	1.21	14.93	17.88	12.25	68.51

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

wwwagovn

httagovharkhan